

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक- 344 / नि०शा० / 2021-22

दिनांक- 07 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-८३ में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० ३०४.९२ लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० २०३.२८ लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- १०/२०२२/१२२/सत्रह-म-२०२२-१७-१००२ (०९९)/४/२०२१ दिनांक ०४.०३.२०२२, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष २०२०-२१ (कार्यान्वयन वर्ष २०२१-२२) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-८३ में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० ३०४.९२ लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० २०३.२८ लाख (रू० दो करोड़ तीन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

१- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-३१/२०२०/१०४७/सत्रह-म-२०२०-६-९(३)/२०२० दिनांक ०९ सितम्बर, २०२० द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

२- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

३- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

४- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ३/२०२१/बी-१-३७५-दस-२०२१-२३१/२०२१ दिनांक २२-३-२०२१ तथा शासनादेश दिनांक ०६ जून, १९९४ में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

५- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

६- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

७- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

८- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

९- भारत सरकार के पत्रांक जे०-१८००१/१/२०१७-एफवाई, दिनांक २३-०४-२०२१ के प्रस्तर-३(११) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- उक्त शर्तों के साथ ही मात्र राज्यांश रू0 203.28 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0),20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (06) पर अंकित है।

भरदीया  
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
- 2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक— 07 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-८३ में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० ३०४.९२ लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० २०३.२८ लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या— १०/२०२२/१२२/सत्रह-म-२०२२-१७-१००२ (०९९)/४/२०२१ दिनांक ०४.०३.२०२२, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष २०२०-२१ (कार्यान्वयन वर्ष २०२१-२२) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के३६/रा०२४/ लाभार्थी-४० के०+रा०) के अर्न्तगत अनुदान सं०-८३ में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू० ३०४.९२ लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू० २०३.२८ लाख (रू० दो करोड़ तीन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

१- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-३१/२०२०/१०४७/सत्रह-म-२०२०-६-९(३)/२०२० दिनांक ०९ सितम्बर, २०२० द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

२- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

३- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

४- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ३/२०२१/बी-१-३७५-दस-२०२१-२३१/२०२१ दिनांक २२-३-२०२१ तथा शासनादेश दिनांक ०६ जून, १९९४ में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

५- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

६ - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

७- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क़य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

८- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

९- भारत सरकार के पत्रांक जे०-१८००१/१/२०१७-एफवाई, दिनांक २३-०४-२०२१ के प्रस्तर-३(११) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 10- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 15- उक्त शर्तों के साथ ही मात्र राज्यांश रू0 203.28 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0),20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 16- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (06) पर अंकित है।

भवदीया

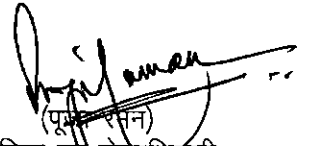
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 354 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
- 2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
- 5 गार्ड फाइल।
- 6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS BIOFALAK SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                           | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)        | योग                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1     | बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                 | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 3321420  | 1200000<br>3321420  |
| 2     | गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय                 | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 3243000  | 1200000<br>3243000  |
| 3     | लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                              | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 7425800  | 1200000<br>7425800  |
| 4     | अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 11659080 | 1200000<br>11659080 |
| 5     | मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                        | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 10013220 | 1200000<br>10013220 |
| 6     | फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                 | वर्तमान अनुदान - 2400000<br>प्रगामी 11503140 | 2400000<br>11503140 |
| 7     | सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                   | वर्तमान अनुदान - 1200000<br>प्रगामी 8718000  | 1200000<br>8718000  |
|       | योग                                                                           | वर्तमान अनुदान - 9600000<br>प्रगामी 55883660 | 9600000<br>55883660 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अट्ठावन लाख तिरासी हजार छः सौ साठ

  
(पूज्यरमन)  
वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

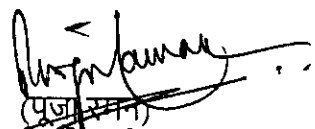
प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS BIOFALAK SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)  
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -  
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                                    | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1     | लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय                 | वर्तमान प्रगामी 600000<br>2406000     | 600000<br>2406000   |
| 2     | लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली | वर्तमान प्रगामी 600000<br>1892940     | 600000<br>1892940   |
| 3     | फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                          | वर्तमान प्रगामी 1200000<br>12703140   | 1200000<br>12703140 |
| 4     | महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                              | वर्तमान प्रगामी 600000<br>1920000     | 600000<br>1920000   |
|       | योग                                                                                    | वर्तमान प्रगामी 3000000<br>18922080   | 3000000<br>18922080 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ नवासी लाख बाइस हजार अस्सी

  
(प्रजासन)  
१ वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-INSULATED REFEREZATER VAN SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -

03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                     |                    | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय              | वर्तमान<br>प्रगामी | 480000<br>3220800                              | 480000<br>3220800   |
| 2     | मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर | वर्तमान<br>प्रगामी | 480000<br>2556600                              | 480000<br>2556600   |
| 3     | आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय              | वर्तमान<br>प्रगामी | 480000<br>7263800                              | 480000<br>7263800   |
| 4     | मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                                  | वर्तमान<br>प्रगामी | 480000<br>10493220                             | 480000<br>10493220  |
| 5     | कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                            | वर्तमान<br>प्रगामी | 480000<br>1326000                              | 480000<br>1326000   |
|       | योग                                                                     | वर्तमान<br>प्रगामी | 2400000<br>24860420                            | 2400000<br>24860420 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौबीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार चार सौ बीस

  
(प्रज्जरमन)  
१ वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

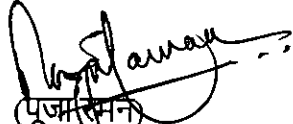
प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -  
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                       | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग               |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य, --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय | वर्तमान<br>प्रगामी<br>216000<br>7479800        | 216000<br>7479800 |
| 2     | गोतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01--          | वर्तमान<br>प्रगामी<br>72000<br>1170000         | 72000<br>1170000  |
|       | योग                                                       | वर्तमान<br>प्रगामी<br>288000<br>8649800        | 288000<br>8649800 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख अठासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियासी लाख उनचास हजार आठ सौ

  
(पूजासिन्हा)  
8 वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTRE SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -  
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                             | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--                         | वर्तमान<br>प्रगामी 480000<br>3933000           | 480000<br>3933000  |
| 2     | प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय | वर्तमान<br>प्रगामी 960000<br>4176000           | 960000<br>4176000  |
| 3     | गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--               | वर्तमान<br>प्रगामी 480000<br>1650000           | 480000<br>1650000  |
|       | योग                                                             | वर्तमान<br>प्रगामी 1920000<br>9759000          | 1920000<br>9759000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख बीस हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तानवे लाख उनसठ हजार

  
(पूजा रमण)  
विच एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

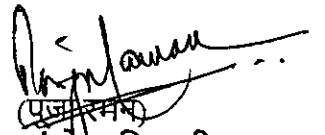
वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL FEED MIL SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -  
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                      | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग               |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी<br>720000<br>5799000        | 720000<br>5799000 |
|       | योग                                      | वर्तमान<br>प्रगामी<br>720000<br>5799000        | 720000<br>5799000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात लाख बीस हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तावन लाख निन्यानवे हजार

  
(पञ्जीकरण)  
वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM FEED MIL SC 06-03-2022  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
01 -

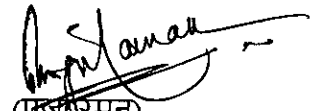
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-  
24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                         |                    | 20-सहायता<br>अनुदान -<br>सामान्य (गैर<br>वेतन) | योग                 |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 2400000<br>10225800                            | 2400000<br>10225800 |
|       | योग                                         | वर्तमान<br>प्रगामी | 2400000<br>10225800                            | 2400000<br>10225800 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौबीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ

  
(पूजा रमन)  
& वित्त एवं लेखाधिकारी

3/7/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21  
वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोकलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

अनु0 जाति लाभार्थी

| क्रम | जनपद        | संख्या | धनराशि<br>/टी0पी0सी0 | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          | प्रस्तावित अवयुक्त अनुदान<br>100 प्रतिशत |          | कुल अवयुक्त अनुदान<br>केवल (राज्यांश)<br>(रु लाख में) |
|------|-------------|--------|----------------------|------------|-------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|      |             |        |                      |            | केन्द्रांश        | राज्यांश | केन्द्रांश                               | राज्यांश |                                                       |
| 1    | 2           | 3      | 4                    | 5          | 6                 | 7        | 8                                        | 9        | 10                                                    |
| 1    | फिरोजाबाद   | 2      | 100.00               | 60.00      | 36.00             | 24.00    | 36.00                                    | 24.00    | 24.00                                                 |
| 2    | मऊ          | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
| 3    | गोरखपुर     | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
| 4    | बाराबंकी    | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
| 5    | बुलन्दशहर   | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
| 6    | लखीमपुरखीरी | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
| 7    | सोनभद्र     | 1      | 50.00                | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00                                    | 12.00    | 12.00                                                 |
|      | प्रदेश योग  | 8      | 400.00               | 240.00     | 144.00            | 96.00    | 144.00                                   | 96.00    | 96.00                                                 |

(रु0 छियान्नवे लाख मात्र)

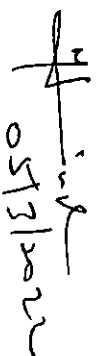
05/13/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21  
मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलक / Rs. 25.0 lacs/unit  
अनु0 जाति लाभार्थी

| क्रम | जनपद       | संख्या | धनराशि / टी0पी0सी0 | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          |            | प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान 100 प्रतिशत | कुल अवमुक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रु लाख में) |
|------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |            |        |                    |            | केन्द्रांश        | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश                              |                                                 |
| 1    | 2          | 3      | 4                  | 5          | 6                 | 7        | 8          | 9                                     | 10                                              |
| 1    | किरोजाबाद  | 2      | 50.00              | 30.00      | 18.00             | 12.00    | 18.00      | 12.00                                 | 12.00                                           |
| 2    | महोबा      | 1      | 25.00              | 15.00      | 9.00              | 6.00     | 9.00       | 6.00                                  | 6.00                                            |
| 3    | तखनऊ       | 1      | 25.00              | 15.00      | 9.00              | 6.00     | 9.00       | 6.00                                  | 6.00                                            |
| 4    | रायबरेली   | 1      | 25.00              | 15.00      | 9.00              | 6.00     | 9.00       | 6.00                                  | 6.00                                            |
|      | प्रदेश योग | 5      | 125.00             | 75.00      | 45.00             | 30.00    | 45.00      | 30.00                                 | 30.00                                           |

(रु0 तीस लाख मात्र)



  
05/3/2022



(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाईड) 2020-21

इन्सुलेटिड/रेफ्रीजरेटर बैन / Rs. 20.0 lacs/unit

Annexure-

अनु० जाति लाभार्थी

| क्रम | जनपद       | संख्या | धनराशि / टी०पी०सी० | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          |            |          | कुल अवमुक्त अनुदान<br>(रु लाख में) |
|------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
|      |            |        |                    |            | केन्द्रांश        | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश |                                    |
| 1    | 2          | 3      | 4                  | 5          | 6                 | 7        | 8          | 9        | 10                                 |
| 1    | आगरा       | 1      | 20.00              | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 7.20       | 4.80     | 4.80                               |
| 2    | मऊ         | 1      | 20.00              | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 7.20       | 4.80     | 4.80                               |
| 3    | कौशाम्बी   | 1      | 20.00              | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 7.20       | 4.80     | 4.80                               |
| 4    | मेरठ       | 1      | 20.00              | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 7.20       | 4.80     | 4.80                               |
| 5    | हापुड़     | 1      | 20.00              | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 7.20       | 4.80     | 4.80                               |
|      | प्रदेश योग | 5      | 100.00             | 60.00      | 36.00             | 24.00    | 36.00      | 24.00    | 24.00                              |

18

05/3/2022

(रु० चौबीस लाख मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21

श्री क्वीलर विथ आइस वाक्स / Rs. 3.0 lacs/unit cost Annexure-II

अनु० जाति लाभार्थी

| क्रम | जनपद         | संख्या | धनराशि / टी0पी0सी0 | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          |            |          | कुल अवमुक्त अनुदान<br>केवल (राज्यांश)<br>(रु लाख में) |
|------|--------------|--------|--------------------|------------|-------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------|
|      |              |        |                    |            | केन्द्रांश        | राज्यांश | केन्द्रांश | राज्यांश |                                                       |
| 1    | 2            | 3      | 4                  | 5          | 6                 | 7        | 8          | 9        | 10                                                    |
| 1    | आगरा         | 3      | 9.00               | 5.40       | 3.24              | 2.16     | 3.24       | 2.16     | 2.16                                                  |
| 2    | गौतमबुद्धनगर | 1      | 3.00               | 1.80       | 1.08              | 0.72     | 1.08       | 0.72     | 0.72                                                  |
|      | प्रदेश योग   | 4      | 12.00              | 7.20       | 4.32              | 2.88     | 4.32       | 2.88     | 2.88                                                  |

(रु० दो लाख अठ्ठासी हजार मात्र)

  
05/3/2022

  
05/3/2022



(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसओवाई) 2020-21

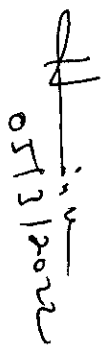
लाईव फिश बेनिडिंग सेन्टर / Rs. 20.00 lacs/unit

अनु० जाति लाभार्थी

| क्रम | जनपद         | संख्या | धनराशि<br>/ टी०पी०सी० | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          | कुल अवमुक्त अनुदान केवल<br>(राज्यांश) |
|------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------|
|      |              |        |                       |            | केन्द्रांश        | राज्यांश |                                       |
| 1    | 2            | 3      | 4                     | 5          | 6                 | 7        | 8                                     |
| 1    | कासगंज       | 1      | 20.00                 | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 4.80                                  |
| 2    | प्रयागराज    | 2      | 40.00                 | 24.00      | 14.40             | 9.60     | 9.60                                  |
| 3    | गौतमबुद्धनगर | 1      | 20.00                 | 12.00      | 7.20              | 4.80     | 4.80                                  |
|      | प्रदेश योग   | 4      | 80.00                 | 48.00      | 28.80             | 19.20    | 19.20                                 |

(रु० उन्नीस लाख बीस हजार मात्र)



 05/11/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21)

लघु फीड मिल / Rs. 30.0 lacs/unit

अनु० जाति लाभार्थी

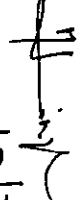
| क्रमांक | जनपद  | संख्या | धनराशि / टी0पी0सी0 | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          | कुल अवमुक्त अनुदान (रु केवल (राज्यांश) लाख में) |
|---------|-------|--------|--------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|
|         |       |        |                    |            | केन्द्रांश        | राज्यांश |                                                 |
| 1       | 2     | 3      | 4                  | 5          | 6                 | 7        | 8                                               |
| 1       | हरदोई | 1      | 30.00              | 18.00      | 10.80             | 7.20     | 7.20                                            |

(रु० सात-लाख बीस हजार मात्र)

✓

 05/03/2022

| (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21<br>मध्याकार फीड मिल / Rs. 100.00 lacs/unit<br>अनु० जाति लाभार्थी) |         |        |                    |            |                   |          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| क्रमांक                                                                                                                 | जनपद    | संख्या | धनराशि / टी०पी०सी० | कुल अनुदान | कुल अनुदान में से |          | कुल अवशुक्त अनुदान<br>केवल ( राश्यांश )<br>(रु लाख में) |
| 1                                                                                                                       | 2       | 3      | 4                  | 5          | केन्द्रांश        | राश्यांश | 8                                                       |
| 1                                                                                                                       | ललितपुर | 1      | 100.00             | 60.00      | 36.00             | 24.00    | 24.00                                                   |

  
  
  
05/3/2022  
(रु० चौबीस लाख मात्र)

संख्या: 10/2022/122/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/4/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम० एस०वाई०) के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹0 304.92 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि ₹0 203.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-48/नि०शा०/2021-22/16-19(6) दिनांक 14 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश ₹0 306.215 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं०-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्राविधानित बजट में से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹0 ₹0 304.92 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि ₹0 203.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक- W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30.12.2021 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु केन्द्रांश धनराशि ₹0 306.215 लाख अवमुक्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या- 1//2022/14/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/4/2021 दिनांक 27.01.2022 द्वारा मात्र केन्द्रांश ₹0 304.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु दिनांक 27.01.2022 को निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹0 304.92 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि ₹0 203.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाईओ) के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु दिनांक 27.01.2022 को निर्गत वित्तीय स्वीकृति रु० 304.92 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रु० 203.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 07 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**तालिका**

( इकाई रु० लाख में)

| क्र० सं० | परियोजना का नाम/ वित्त पोषण (के०36+रा 024+ला०-40, के०+रा० सं०) | इकाई (हे०/सं०) | इकाई लागत | कुल परियोजना लागत | वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव |          |              | वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष निर्गत होने वाली मैचिंग राज्यांश की धनराशि |        |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |                                                                |                |           |                   | केन्द्रांश                                                                  | राज्यांश | सामर्थ्य अंश | निर्गत मैचिंग राज्यांश                                                                                                           | योग    |
| 1        | 2                                                              | 3              | 4         | 5                 | 6                                                                           | 7        | 8            | 9                                                                                                                                | 10     |
| 1        | वृहद आर०एम०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण                           | 21             | 50.00     | 1050.00           | 378.00                                                                      | 252.00   | 420.00       | 96.00                                                                                                                            | 96.00  |
| 2        | मध्यमाकार आर०एम०एस०/ बायोफ्लाक का निर्माण                      | 6              | 25.00     | 150.00            | 54.00                                                                       | 36.00    | 60.00        | 30.00                                                                                                                            | 30.00  |
| 3        | इनसुलेटेड वाहन                                                 | 7              | 20.00     | 140.00            | 50.40                                                                       | 33.60    | 56.00        | 24.00                                                                                                                            | 24.00  |
| 4        | श्री वहीलर विद आइस बाक्स                                       | 11             | 3.00      | 33.00             | 11.88                                                                       | 7.92     | 13.20        | 2.88                                                                                                                             | 2.88   |
| 5        | जीयित मत्स्य विक्रय केन्द्र                                    | 6              | 20.00     | 120.00            | 43.20                                                                       | 28.80    | 48.00        | 19.20                                                                                                                            | 19.20  |
| 6        | लघु मिल्स की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन /दिन)                | 4              | 30.00     | 120.00            | 43.20                                                                       | 28.80    | 48.00        | 7.20                                                                                                                             | 7.20   |
| 7        | मध्यमाकार मिल्स की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन/ दिन)          | 1              | 100.0     | 100.00            | 36.00                                                                       | 24.00    | 40.00        | 24.00                                                                                                                            | 24.00  |
|          | योग                                                            |                |           |                   |                                                                             |          |              | 203.28                                                                                                                           | 203.28 |

(रु० दो करोड़ तीन लाख अठ्ठाइस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाईओ) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

- (2) भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनर्वेध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- (3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
- (4) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष नियंत्रक/ अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (5) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- (6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

- (14) ऑफिसों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य सम्बन्धित अधिकारी का होगा।
- (15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।
- (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पीओएफओएमएसओ/ डीओबीओटीओ प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (18) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तों के साथ ही साथ मात्र मैचिंग राज्यांश रु0 203.28 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5)

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसएमएसवाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर / अशासकीय संख्या-ई-1-3660/दस-2021-22, दिनांक 03.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव  
Date: 04-03-2022 17:35:37  
Reason: Approved  
(कृपा शंकर यादव)  
उप सचिव।

संख्या: 10/2022/122(1)/सत्रह-म-2022तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक /उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।